

साहेब डा० धम्बेडकर की प्रतिमा उखाड़ी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपने खर्चे से सरकार की ओर से, वहां पर प्रतिमा लगा कर पार्क बनाया। इसलिये मैं रिव्यूस्ट करती हूँ कि केन्द्र की सरकार दिल्ली की सरकार को यह आदेश करे कि जो प्रतिमा डी०डी०ए० अधिकारियों ने उखाड़ी है, उस प्रतिमा को सरकार दोबारा लगाये और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। धन्यवाद।

Return of Padma Award by Shri Anna Sahab Hazare

श्री सुन्दर सिंह बंडारी (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान महाराष्ट्र की एक घटना पर ले जाना चाहता हूँ। अन्ना साहेब हजारे, इन्होंने पिछली एक मई से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल की हुई है। पिछले चार वर्षों से यह एक भ्रष्टाचार के मामले को उठा रहे हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, केन्द्रीय सेवा के भी जिसमें छह अधिकारी हैं, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन सारे प्रयत्नों के बाद भी सरकार उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही। एक महीना पहले इसी से निराश होकर अपने प्रयत्नों से, उन्होंने अपनी पदमश्री की उपाधि भी लौटा दी। उसके बाद वह एक मई से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथी भी उनके साथ हैं। वह यह चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और जो केन्द्रीय सरकार अधिकारी इसमें लिप्त हैं, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाये। मैं चाहूंगा कि सरकार एक वक्तव्य दे, इस कार्यवाही के प्रारम्भ करने का, ताकि पदम-भूषण अन्ना साहेब हजारे यह भूख हड़ताल समाप्त कर सकें।

Lathi charge on women and children in Ayodhya

श्री लंघ प्रिय मोसम (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदया, लोकतन्त्र में राजनैतिक दलों को अपनी बात जनता तक

पहुँचाने के लिये घटना देने, प्रदर्शन करने, सत्याग्रह करने और आन्दोलन करने का अधिकार है। सभी राजनैतिक दल प्रायः ऐसा करते रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं। महोदया, कल उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद का जो बहुत चर्चित स्थान है, अयोध्या, वहां पुलिस ने बड़ा कहर मचाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, जो अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने अपना घरने पर बैठे थे। उस घरने में बैठे लोगों में महिलाएँ भी थीं, जिनमें कुछ दूधमुँहे बच्चों को अपनी गोद में लेकर बैठी थीं।

महोदया, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामजी पण्डा ने आत्महत्या की थी और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक नोट पीछे छोड़ा था, जिसे कानून की निगाह में डाइंग डिक्लरेशन कहते हैं और जब डाइंग डिक्लरेशन हो, तो कानून की निगाह में उससे ज्यादा बेहतरीन साक्ष्य नहीं होती और उसी के आधार पर कार्यवाही की जाती है। उसमें किसी व्यक्ति को फसाने, बहकाने या भड़काने की बात नहीं है, बहुत साफ लिखा है कि उस डाइंग डिक्लरेशन में, कि मैं आत्महत्या सरकार द्वारा, प्रदेश की सरकार द्वारा उत्पीड़न के कारण कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र से दो बार निर्वाचित लोकप्रिय विधायक लल्लू सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। उस मुकदमे को खतम कराने के लिए वहां के कार्यकर्ता मांग करते रहे और उन्होंने कल वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, और घरना दिया जिसमें लल्लू सिंह भी बैठे हुए थे। वसे भी व्यावहारिक बात नहीं है कि भीड़ से किसी को गिरफ्तार किया जाये अगर गिरफ्तार करना था किसी मुकदमे में, तो कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता था, संपत्ति कुक की जा सकती थी, लेकिन जहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता घरने पर बैठे हों, जिसमें महिलाएँ भी हों, उसमें पुलिस